न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2021 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी.

1. बदाम पत्नी स्व. भंवर सिंह मीणा, बनाम निवासी–सरसिया, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. शीला पत्नी स्व. शंकर सिंह मीणा, निवासी–सरसिया, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

1. भज्जा पुत्र देवी मीणा, निवासी सरसिया, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2. काना पुत्र भुरा मीणा, निवासी– सरसिया, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थित –
1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित – एक तरफा कार्यवाही

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 30.06.2023

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.10.1982 को आवंटन निरस्ती के आदेश प्रदान किये गये। ग्राम सरसिया, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा मे आराजी संख्या 216 रकबा 5 बीघा भंवर सिंह पुत्र घासी मीणा को विधिवत अलोट की गई। अलोट के पश्चात से भंवर सिंह पुत्र घासी मीणा द्वारा आवंटन नियमों की पालना कर अलोटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था व उसके जीवनकाल व उसकी मृत्यु के पश्चात पुत्र शंकर काबिज होकर उसके परिवारजन भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। न्यायालय के प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की विधिवत तामिल मृतक भंवर सिंह पुत्र घासी मीणा पर कभी नही हुई, जिससे मृतक भंवर सिंह को उक्त प्रार्थनापत्र की जानकारी नहीं हुई। न ही प्रार्थीगण व मृतक भंवर के अन्य परिजन को विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की जानकारी हो पाई। जिससे वास्तविक तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाये। विपक्षीगण द्वारा मनमकसूद व मनमाफिक तथ्य अंकित कर निराधार व असत्य आधारों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जबकि विपक्षीगण को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, न ही विपक्षीगण किसी प्रकार से पीडित पक्षकार थे, मृतक भंवर सिंह को विधिवत तामिल नहीं होने से व न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो पाने से विपक्षीगण द्वारा एकतरफा निर्णय पारित कर लिया, जिससे भी प्रार्थीगण को सुना जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय भी समुचित

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अवलोकन नहीं किया व विपक्षीगण के प्रार्थनापत्र को ही आधार मान मृतक भवरसिंह को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान न कर निर्णय पारित कर दिया, जिससे भी प्रार्थीगण को सुना जाना न्यायोचित व आवश्यक है। आराजी संख्या 216 एक बडा रकबा था, जिसमें से समय–समय पर कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई व आवंटित भूमि पर आज भी व्यक्ति काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार स्व. भंवर सिंह मीणा को भी भूमि आवंटन हुई। जो वैध आवंटन था, परन्तु विपक्षीगण स्व. भंवर सिंह से द्वेषता रखते थे जिससे असत्य व निराधार आधारों पर प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को सुना जाना आवश्यक है। उक्त मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित हैं, जिसमे प्रार्थीगण का हक अधिकार निहित हैं। भंवर सिंह पुत्र घासी मीणा की मृत्यु होने के पश्चात उसके समस्त हक अधिकार प्रार्थीगण मे नियत हो गये, प्रार्थीगण मृतक भंवर सिंह के जीवनकाल व उनकी मृत्यु के पश्चात भूमि पर काबिज होकर आज पर्यन्त तक भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। परिवार मे कोई पुरुष व्यक्ति नहीं रहा व प्रार्थीगण भी अशिक्षित महिलाएं हैं जो कि कानुन की प्रक्रिया और कानून की जानकारी नहीं रखती हैं और उक्त भूमि को स्वयं के स्वामित्व की मानती हुई उस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही थीं, राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसे भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर व आवंटन निरस्त हो जाने का कथन करने पर प्रार्थीगण द्वारा आवंटन पत्रावली व निर्णय की जानकारी की तथा वक्त जानकारी से प्रार्थना–पत्र अन्दर अवधि शुमार है। परिसीमा का प्रार्थना–पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमा प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पूर्व में पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को रजिस्टर्ड सम्मन प्रेषित किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। विपक्षीगणों के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि न्यायालय के प्रकरण में प्रार्थीगण को नहीं सुना गया एवं न ही उनको पक्षकार बनाया गया, जबकि उक्त प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात प्रार्थीगण के पूर्वज को विधिवत अलोट हुयी थी। ग्रामीण परिवेश की महिलाये होने से कानुन की प्रक्रिया और कानून की जानकारी नहीं रखती हैं और उक्त भूमि को स्वयं के स्वामित्व की मानती हुई उस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही थीं। अतः निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय को अपास्त करते हुये उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को आवश्यक पक्षकार बनाते हुये उनको सुना जाकर नये सिरे से

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्णय पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि न्यायालय अति. जिलाधीश भीलवाडा की पत्रावली संख्या 47/81 निर्णय दिनांक 11.10.1982 अनुसार प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.04.1977 अनुसार खसरा नम्बर 216 रकबा 5.0 बीघा चारागाह होकर सार्वजनिक भूमि हैं। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28.07.1977 अनुसार भी उक्त भूमि चारागाह हैं। चारागाह भूमि नियमानुसार आवंटन योग्य नहीं होने से, उक्त निर्णय में आवंटन निरस्त किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया वह पूर्णतया सही हैं।

प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय के विरूद्व लगभग 40 वर्ष बाद यह प्रार्थना पत्र बिना किसी ठोस कारणों के प्रस्तुत किया जो कानूनन पोषणीय नहीं हैं। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होने पर प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के आधार पर पूर्व निर्णय को अपास्त किया जाना विधि विरूद्व है।

विगत 40 वर्षों से उक्त चारागाह भूमि पर कब्जा होना बेबुनियाद एवं मनगढन्त बातें हैं, क्योंकि उक्त भूमि पर कब्जा बाबत् कोई साक्ष्य, दस्तावेजात एवं सरकारी रिकार्ड प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व सपठित आदेश 1 नियम 10 व आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व सपठित आदेश 1 नियम 10 व आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)